भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5664

(दिनांक 26.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

भ्रामक विज्ञापन

5664. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
श्री अशोक कुमार रावतः
डॉ. तामिझाची थंगापंडियनः
श्रीमती किरण खेरः
डॉ. रामशंकर कठेरियाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) थिएटरों सहित सभी प्रकार के समाचार माध्यमों के मंचों पर विज्ञापनों के विनियमन के लिए विद्यमान तंत्र के संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों सहित प्रसारण माध्यमों में अनेक तंबाकू/एल्कोहल/सिगरेट ब्राण्डों का उपभोक्ता उत्पादों के रूप में कुछ अन्य अप्रत्यक्ष तरीकों से विज्ञापन किया जा रहा है, यदि हां, तो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को समाप्त करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) टी॰वी॰ पर पान मसाला विज्ञापनों का प्रसारण रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा अश्लील चित्रों का प्रसारण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक ऐसे भ्रामक विज्ञापनों/अश्लील चित्रों के प्रसारण पर रोक अथवा कानूनी प्रतिबंध के संबंध में कोई सुझाव/ज्ञापन/अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित कठोर उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुसार विनियमित किया गया है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार थियेटर में प्रदर्शन के लिए विज्ञापन और फिल्मों का प्रमाणन करती है।

एफएम रेडियो चैनलों को अनुमति मंजूरी करार (जीओपीए) की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन करना आवश्यक है जिसे एफएम रेडियो चैनल चलाने की अनुमति प्रदान करते समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनके साथ निष्पादित किया जाता है।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने ''पत्रकारिता आचरण के मानदंड'' बनाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के संबंध में सिद्धांतों और नैतिकता को शामिल किया गया है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए ''भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत'' (जीएएमए) पोर्टल है।

विज्ञापन उद्योग के स्व-विनियामक निकाय, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), ने भ्रामक, असत्य और निराधार दावों वाले विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय लेने तथा विज्ञापन विषय-वस्तु को देखने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद का गठन किया है।

(ख) एवं (ग): केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विज्ञापन संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी ऐसे उत्पाद, जो किसी ऐसे ब्रांड के नाम अथवा लोगो का उपयोग करता हो और जिसका उपयोग सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराब, एल्कोहल, मादक द्रव्य अथवा अन्य नशीले पदार्थों के लिए भी किया जाता हो, का टेलीविजन पर प्रसारण केवल कतिपय विनिर्धारित शर्तों के तहत किया जा सकता है। उल्लंघन, यदि कोई हो, का निपटारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

जहां तक दूरदर्शन केंद्रों का संबंध है, दूरदर्शन पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों का प्रसारण दूरदर्शन प्रसारण संहिता/विज्ञापन के लिए वाणिज्यिक संहिता और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के अनुरूप किया जाता है।

दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के अनुसार दूरदर्शन पर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले उत्पादों जैसे कि पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू आदि विज्ञापनों का प्रसारण नहीं किया जाता है।

(घ): दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों/दृश्यों का संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किए जाने से पहले पूर्वावलोकन किया जाता है। कुछ भी भ्रामक/आपत्तिजनक/संहिता के मानकों के अनुरूप नहीं होने पर प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ङ) एवं (च): सरकार के पास भ्रामक विज्ञापनों के मामलों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। सरकार समय-समय पर टीवी चैनलों को ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण नहीं करने के लिए सलाह-पत्र जारी करती रहती है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, एएससीआई संहिता और औषध एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम, 1954 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हों।

तथापि, प्राइवेट टीवी चैनलों की जिम्मेदारी है कि वे भारत सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत जारी सलाह-पत्रों का अनुपालन करें।

*****